

अनुदान संख्या 47 - भारतीय चिकित्सा पद्धतियां और होम्योपैथी विभाग
GRANT No. 47-DEPARTMENT OF INDIAN SYSTEMS OF MEDICINE AND
HOMOEOPATHY

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)		
राजस्व:	Revenue:			
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	194,47,00		
पूरक	Supplementary	1,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year	194,48,00	184,98,03	-9,49,97
पूंजीगत:	Capital:			
स्वीकृत-	Voted-	2,00,00	. .	-2,00,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			2,00,00

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2210"	Major Head "2210"			
चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	Medical and Public Health			
मू.	O.	13273.00		
पू.	S.	1.00	13308.92	13227.16
पु.	R.	34.92		-81.76
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"			
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas			
मू.	O.	1500.00		
पु.	R.	-1499.64	0.36	. .
				-0.36

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)				
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"			
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments			
मू.	O.	4154.00		
			4835.22	4833.51
पु.	R.	681.22		-1.71

(I) 2004.00 लाख रु. का प्रावधान बारह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 1650.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष "2552" - "अन्य व्यय - पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के लिए प्रावधान"- 1500.00 लाख रु. सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों में उपयोग के लिए कार्यात्मक शीर्षों को निधियों का पुनर्विनियोग किए जाने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष "3601" - "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - चिकित्सा की अन्य पद्धतियां - अन्य पद्धतियां - प्रयोगशालाओं/गुणवत्ता नियंत्रण सुविधाओं के सृजन के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी उद्योग को सहायता"- 150.00 लाख रु. स्कीम को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष "2210" - "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - चिकित्सा की अन्य पद्धतियां - अन्य पद्धतियां - राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना" के अंतर्गत 170.15 लाख रु. की बचत (2000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से कम संख्या में उपयुक्त प्रस्तावों के प्राप्त होने की वजह से विभिन्न चरणों में निधियों की कम आवश्यकता होने के कारण थे।

(III) मुख्य शीर्ष "3601" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(I) Provision of Rs.2004.00 lakhs remained wholly unutilised under twelve heads; of these Rs.1650.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2552" - "Other Expenditure-Provision for North Eastern States and Sikkim" - Rs.1500.00 lakhs - due to re-appropriation of funds to the functional heads for utilisation in the projects /schemes for the benefit of North-Eastern States including Sikkim.

(B) Major Head "3601" - "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Urban Health Services - Other Systems of Medicine - Other Systems - Support to ISM&H industry for creation of Laboratories/Quality Control facilities" - Rs.150.00 lakhs - due to non-finalisation of the scheme.

(II) Under Major Head "2210" - "Urban Health Services - Other Systems of Medicines - Other Systems - Setting up of National Board for Medicinal Plants" - saving of Rs.170.15 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2000.00 lakhs) was due to less requirement of funds at various stages owing to receipt of less number of eligible proposals from the State Governments.

(III) Under Major Head "3601" - savings occurred under the following heads:-

(का) “केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान”-

(क) “चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान - आयुर्वेद - आईएसएमएंडएच के स्नातक-पूर्व कालेजों के विकास के लिए अनुदान”- 108.21 लाख रु. की बचत (750.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम उपयुक्त प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(ख) “शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - चिकित्सा की अन्य पद्धतियां - होम्योपैथी - आईएसएमएंडएच के स्नातकोत्तर (पीजी) कॉलेजों के उन्नयन के लिए अनुदान”- 180.22 लाख रु. की बचत (300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पर्याप्त संख्या में प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(IV) आठ शीर्षों के अंतर्गत 670.05 लाख रु. की बचत हुई जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परन्तु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 18 प्रतिशत से 96 प्रतिशत तक थी।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (886.40 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि मुख्य शीर्ष “2210” - “चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान” के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत फरवरी, 2004 में 1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) “आयुर्वेद - केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद को अनुदान”- 221.10 लाख रु.।

(खा) “होम्योपैथी - केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद को अनुदान”- 122.80 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 121.80 लाख रु. था।

(गा) “यूनानी - केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद को अनुदान”- 187.50 लाख रु.।

(घा) “अन्य पद्धतियां”-

(क) “राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे को अनुदान”- 55.00 लाख रु.।

(A) “Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes” -

(a) “Medical Education, Training and Research - Ayurveda - Grants for Development of UG Colleges of ISM&H” - saving of Rs.108.21 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.750.00 lakhs) was due to receipt of less suitable proposals.

(b) “Urban Health Services - Other Systems of Medicine - Homoeopathy - Grants for upgradation of PG Colleges of ISM&H” - saving of Rs.180.22 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.300.00 lakhs) was due to non-receipt of adequate number of proposals.

(IV) Under eight heads savings of Rs.670.05 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 18 percent to 96 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (Rs.886.40 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.1.00 lakh in February, 2004 under Major Head “2210” - “Medical Education, Training and Research” under the following heads:-

(A) “Ayurveda - Grants to Central Council for Research in Ayurveda and Siddha” - Rs.221.10 lakhs.

(B) “Homoeopathy - Grants to Central Council for Research in Homoeopathy” - Rs.122.80 lakhs. Actual excess, however, was Rs.121.80 lakhs.

(C) “Unani - Grants to Central Council for Research in Unani Medicines” -Rs.187.50 lakhs.

(D) “Other Systems” -

(a) “Grants to National Institute of Naturopathy, Pune - Rs.55.00 lakhs.

- (ख) राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, तमिलनाडु को अनुदान'- 300.00 लाख रु.।
- (II) उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "3601" - "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान" के निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गई:-
- (का) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान - आयुर्वेद - राज्य दवा परीक्षण प्रयोगशालाएं/औषधालय"- 569.72 लाख रु. का अधिक व्यय (300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्य शीर्ष "2552" से सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों में उपयोग के लिए कार्यात्मक शीर्षों को निधियों का पुनर्विनियोग किए जाने के कारण हुआ।
- (खा) "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - अन्य चिकित्सा पद्धतियां - अन्य पद्धतियां"-
- (क) "संस्थानों की स्थापना/भारतीय चिकित्सा पद्धतियां और होम्योपैथी/उत्कृष्टता केन्द्र/माडल कालेजों का उन्नयन और अन्य अधःसंरचना"- 541.00 लाख रु. का अधिक व्यय (745.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अधिक उपयुक्त प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।
- (ख) "जिला अस्पतालों में भारतीय चिकित्सा पद्धति स्कंध की स्थापना"- 231.84 लाख रु. का अधिक व्यय (200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्य शीर्ष "2552" से सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों में उपयोग के लिए कार्यात्मक शीर्षों को निधियों का पुनर्विनियोग किए जाने के कारण हुआ।
- (III) एक शीर्ष के अंतर्गत 81.24 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 10 प्रतिशत से अधिक था।
3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई:-
- (b) Grants to National Institute of Siddha, Tamil Nadu" - Rs.300.00 lakhs.
- (II) The above savings were also offset by excess under Major Head "3601" - "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes" - under the following heads :-
- (A) "Medical Education, Training and Research- Ayurveda - State Drug Testing Laboratories/Pharmacies" - excess of Rs.569.72 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.300.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to the functional heads for utilisation in the projects/schemes for the benefit of North-Eastern States including Sikkim.
- (B) "Urban Health Services - Other Systems of Medicine - Other Systems"-
- (a) "Establishment of Institutes/upgradation and other infrastructure of ISM&H/Centre of excellence/model Colleges" - excess of Rs.541.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.745.00 lakhs) was due to receipt of more suitable proposals.
- (b) "Setting up of ISM Wing in district hospitals" - excess of Rs.231.84 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.200.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to the functional heads for utilisation in the projects/schemes for the benefit of North-Eastern States including Sikkim.
- (III) Under one head excess of Rs.81.24 lakhs occurred constituting more than 10 percent of the sanctioned provision.
3. In the capital section of the grant, saving occurred under the following major head:-

कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत-
Total	Actual	Saving-
grant	expenditure	

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head	
मुख्य शीर्ष "4210"	Major Head "4210"	
चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Medical and Public Health	
मू.	O.	200.00
पु.	R.	-200.00

.. .. .

(I) 200.00 लाख रु. का प्रावधान "सामान्य - सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश - इंडियन मेडिसिन फार्मास्युटीकल कारपोरेशन लि., रानीखेत" के अंतर्गत आधुनिकीकरण के लिए पिछले वर्षों की निधियों की उपलब्धता होने के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.200.00 lakhs remained wholly unutilised under "General -Investment in Public Sector and Other Undertakings - Indian Medicine Pharmaceutical Corporation Limited, Ranikhet" - due to availability of last years funds for modernisation.